विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	शहरी विकास
तारांकित प्रश्न संख्या	:	1246
उत्तर की तिथि	:	08.02.2019
विषय	:	लिपिकों की नियुक्तियां
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री सतपाल सिंह रायजादा (ऊना)
सम्बन्धित मंत्री	:	शहरी विकास मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) शहरी विकास विभाग द्वारा नगर परिषदों में लिपिकों की नियुक्तियां किस आधार पर की जाती है; और	(क) तथा (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) यदि नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन सं0 32–2/2016 के तहत पोस्ट कोड न0 484 द्वारा की गई है तो नगर परिषदों में outsource पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कोई नीति बनाने का सरकार विचार रखती है?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 1246 जो श्री सतपाल सिंह रायजादा(ऊना) द्वारा लिपिकों की नियुक्तियां बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) शहरी विकास विभाग द्वारा नगर परिषदों में लिपिकों की सीधी भर्ती सरकार की स्वीकृति के उपरान्त हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से की जाती है।

(ख) वर्ष 2018 में विभाग द्वारा विभिन्न नगर परिषदों/नगर पंचायतों में लिपिकों के 44 रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती द्वारा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से (पोस्ट कोड 484) भरा गया है। शहरी स्थानीय निकायों में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सरकार की समय समय पर जारी नियमितिकरण नीति के अनुरूप निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने पर नियमित किया जाता है। जहां तक आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने हेतु नीति बनाने का प्रश्न है, विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का मामला कार्मिक विभाग से सम्बन्धित हैं।